बिहार सरकार

गृह (कारा एवं सुधार सेवाएँ) विभाग

अधिसूचना

संख्या..203/ गृह (कारा एवं सुधार) विभाग बिहार, पटना, की अधिसूचना सं0–5322 दिनांक 28.10.2013 द्वारा बिहार कारा सेवा में नवनियुक्त परीक्ष्यमान काराधीक्षक श्री ब्रिजेश सिंह मेहता को उनके नाम के सामने स्तम्भ–4 में अंकित तिथि से कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय में योगदान स्वीकृत करते हुए, उन्हें इनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित केन्द्रीय कारा में प्रशिक्षण हेतु तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है:–

क्रमांक	नाम	गृह जिला	कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय में योगदान की तिथि	संलग्न केन्द्रीय कारा का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री ब्रिजेश सिंह मेहता	औरंगाबाद	31.12.2013 (पूर्वाह्न)	विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर

2. चूँकि उपर्युक्त परीक्ष्यमान कारा अधीक्षकों की नियुक्ति राज्य के काराओं के लिए कुल स्वीकृत बल के अधीन की गई है तथा उनका नियमित पदस्थापन अभी तक नहीं किया गया है, अतः संबंधित परीक्ष्यमान कारा अधीक्षकों के वेतनादि की निकासी केन्द्रीयकृत रूप से कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय बिहार, पटना द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वेतन विपत्र पर इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि उक्त परीक्ष्यमान कारा अधीक्षकों की नियुक्ति राज्य के कारा अधीक्षकों के स्वीकृत बल के अन्तर्गत की गयी है।

राशि की निकासी बजट मुख्य शीर्ष–2056–जेल (गैर योजना), लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन, उपशीर्ष–0001–जेल निरीक्षणालय एवं विपत्र कोड संख्या–एन–2056000010001 मांग सं0–22 से की जाएगी, जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना होगें।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त भुगतान संबंधित परीक्ष्यमान कारा अधीक्षकों के वेतन पुर्जा के आधार पर करेंगे।

3. बिहार कारा सेवा नियमावली–1953 के अनुसार नवनियुक्त परीक्ष्यमान कारा अधीक्षकों को एक वर्ष तक विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। उन्हें छः माह कारा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण एवं 4 सप्ताह बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बाल्मी परिसर, पटना में प्रशिक्षण दिया जायेगा। उक्त संस्थानों से विस्तृत कार्यक्रम प्राप्त होने के पश्चात् उसके संबंध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जाएगी। सम्प्रति केन्द्रीय काराओं में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु निम्नरूपेण कार्यक्रम तय किया जाता है:–

क्र0	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षण का विषय	अवधि (सप्ताह)	अभ्युक्ति
1	केन्द्रीय कारा में प्रशिक्षण	(क) उपाधीक्षक (कारापाल), सहायक अधीक्षक (सहायक कारापाल), चिकित्सा पदाधिकारी, अधीक्षक, बंदियों के संबंध में एवं कारा के सुरक्षा के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण। जिस कारा में उद्योग स्थापित हैं वहाँ उद्योग के संचालन हेतु भी प्रशिक्षण।		
		केन्द्रीय कारा	06	
		मंडल कारा	04	
		उपकारा	03	
		(ख) संलग्न केन्द्रीय कारा के मुख्यालय के जिला में न्यायिक कार्य।	01	
		(ग) संलग्न केन्द्रीय कारा के मुख्यालय के जिला में कोषागार कार्य।	01	
		(घ) संलग्न केन्द्रीय कारा के जिला में जिला पदाधिकारी के साथ	01	
		(ड़) संलग्न केन्द्रीय कारा के मुख्यालय के जिला में पुलिस अधीक्षक के साथ।	01	

कुल अवधि 17 सप्ताह

4. संबंधित केन्द्रीय कारा अधीक्षक अपने वृत्त के काराओं में प्रशिक्षण हेतु उक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि एवं विषयों के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक आदि से संपर्क कर जिला स्तर पर निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार तिथिवार कार्यक्रम तय कर आदेश निर्गत करते हुए प्रशिक्षण दिलवाने की भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।

5. श्री मेहता, नवनियुक्त परीक्ष्यमान काराधीक्षक को रिजनल इन्स्टीच्यूट ऑफ करेक्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, सुधार सेवा निदेशालय, प0 बंगाल 1/1 रिजर्वायर रोड, दमदम, कोलकाता–700028 द्वारा दिनांक 13.01.2014 से कारा एवं सुधार सेवा के पदाधिकारियों के लिए संचालित होनेवाले 12 सप्ताह के तृतीय बेसिक ट्रेनिंग कोर्स में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/1/14

(सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव)
अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक–कारा/स्था0 (अधी0) 01–18/13....203....दिनांक....10-1-14

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0 सहित) प्रेषित।

10/1/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक–कारा/स्था0 (अधी0) 01–18/13....203....दिनांक....10-1-14

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/1/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

कारा/स्था0 (अधी0) 01–18/13....203....दिनांक....10-1-14

प्रतिलिपि–श्री वागीश मिश्रा, निदेशक, रिजनल इन्स्टीच्यूट ऑफ करेक्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, सुधार सेवा निदेशालय, प0 बंगाल 1/1 रिजर्वायर रोड, दमदम, कोलकाता–700028 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि नवनियुक्त परीक्ष्यमान काराधीक्षक श्री मेहता को दिनांक 13.01.2014 से कारा एवं सुधार सेवा के पदाधिकारियों के लिए संचालित होनेवाले 12 सप्ताह के तृतीय बेसिक ट्रेनिंग कोर्स में प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाय।

10/1/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

कारा/स्था0 (अधी0) 01–18/13....203....दिनांक....10-1-14

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, भागलपुर/पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/अधीक्षक विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर/श्री ब्रिजेश सिंह मेहता परीक्ष्यमान काराधीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक–कारा/स्था0 (अधी0) 01–18/13....203....दिनांक....10-1-14

प्रतिलिपि–निदेशक कर्मशाला/सहायक कारा महानिरीक्षक/लेखा शाखा, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक–कारा/स्था0 (अधी0) 01–18/13....203....दिनांक....10-1-14

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)